

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्र० 1259/आर-446/2022/ब-1/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 नवंबर 2022

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
नर्मदा घाटी विकास/लोक निर्माण/  
जल संसाधन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/  
नगरीय विकास एवं आवास /वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 373/आर-63/2022/ब-1/चार  
दिनांक 31 मार्च 2022

..000..

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए संदर्भित पत्र की कंडिका (II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु क्र०-4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट -2 अनुसार निर्धारित की गई है। विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के शेष माहों के लिए परिशिष्ट-2 "एफ" अनुसार पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूंजीगत) निर्धारित की जाती है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक बजट एवं अपर सचिव

म०प्र० शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवंबर 2022

क्रमांक : 1260/आर-446/2022/ब-1/चार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) - प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर/भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/संचालक बजट, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
3. उप सचिव /अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी/परामर्शी, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, समस्त बजट शाखाएँ।

4. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल।  
की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को वित्त विभाग की  
वेबसाईट [www.finance.mp.gov.in](http://www.finance.mp.gov.in) पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल करने हेतु।



अवर सचिव  
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-2 "एफ"

वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह नवंबर 2022 से माह मार्च 2023 तक के लिए पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रुपये करोड़ में)

| क्रमांक | विभाग                    | मांग संख्या | नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक के लिए (प्रतिमाह) | रिमार्क  |
|---------|--------------------------|-------------|---|--|
| 1       | लोक निर्माण              | 024         | 776   |  |
| 2       | नर्मदा घाटी विकास        | 048         | 600   | कम से कम राशि रुपये 300 करोड़ नाबार्ड संबंधी परियोजनाओं पर व्यय की जाये। |
| 3       | जल संसाधन                | 023         | 532   |  |
| 4       | नगरीय विकास एवं आवास     | 022         | 407   |  |
| 5       | पंचायत एवं ग्रामीण विकास | 030         | 392   |  |
| 6       | वन                       | 010         | 165   |  |

  
21/11/22